29.01.2025:–पत्रावली आज पेशी मे ली गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपना मुल वादपत्र डिकी करवा लिया है। इसलिए मूल वाद पत्र डिकी होने के कारण प्रार्थना–पत्र 212 आर.टी.ए मे कोई कार्यवाही शेष नही रह जाती। मूल वादपत्र डिकी होने के कारण प्रार्थी का उक्त प्रार्थना–पत्र मे जारी स्थगन आदेश दिनांक 07.02.204 को वर्तमान स्तर पर निरस्त किया जाती है। पत्रावली. नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.04.15 10:13:41 IST
Reason: SelfAttested